उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
सं0–वे0आ0–1–404/दस–12–28(एम)/2007
लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2012

इस अनुभाग के पत्र सं0–वे0आ0–1–1108/दस–2011–28(एम)/2007 दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 के संदर्भ में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–फा0सं0–1(1)/2012–ई–II(बी) दिनांक 03 अप्रैल, 2012 की (हिन्दी व अग्रेजी) प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञाप की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2012 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने का कष्ट करें:–

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।

(मनोज कुमार जोशी)
उप सचिव।

संख्या–वे0आ0–1–404(1)/दस–2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3. प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
उप सचिव।

फा.सं.1(1)/2012-ई-II (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 03 अप्रैल, 2012

कार्यालय ज्ञापन

य: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान - 01.01.2012 से लागू संशोधित दरें।

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 03 अक्तूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1(14)/2011-(बी) के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दा 58 प्रतिशत की दर को 01 जनवरी, 2012 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के कार्यालय सं.1(3)/2008-संस्था-II(ख) के पैरा 3, 4 और 5 में निहित उपबंध लागू होंगे।

इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों को किया जाएगा।

ये आदेश, रक्षा सेवा अनुमानों से वेतन प्राप्त करने वाले असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे और यह व्यय, सेवा अनुमानों के संगत शीर्ष के नामे डाला जाएगा। सशस्त्र बल कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में क्रमश: मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

(अनिल शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रि:- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

No. 1(1)/2012-E-II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 3rd April, 201

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Payment of Dearness Allowance to Central Governme employees - Revised Rates effective from 1.1.2012.

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Offic Memorandum No. 1 (14)/2011-E-II(B) dated 3rd October,2011 on th subject mentioned above and to say that the President is pleased t decide that the Dearness Allowance payable to Central Governmer employees shall be enhanced from the existing rate of 58% to 65% with effect from 1st January, 2012.

2 The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry' O.M. No. 1 (3)/2008-E-II(B) dated 29th August, 2008 shall continue t be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3 The additional instalment of Dearness Allowance payable unde these orders shall be paid in cash to all Central Government employees.

4 These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the Defence Services Estimates. In regard to Armed Forces personnel and Railway employees separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

5 In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Anil Sharma)
Under Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India as per standar distribution list etc.

Copy (with usual number of spare copies) to C&AG, UPSC etc. as pe standard list.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सा० वित्त–18–4–2012–(79)–1000+2 प्रतियां (ऑफसेट)।